

सं. 212/12 वीर साखा/कल्याण

न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

दिनांक

14 ¹⁰/₂₀₂₀

पत्रावली पेश हुई। आवाज दिलवायी गई। वकील प्रार्थी उपस्थित आए। वकील प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र Not Press में खारिज करने का आग्रह किया। अतः पत्रावली Not Press में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Not Press

~~4~~

